567

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

1593
नि.सहा./स्वा.आयुक्त/........
दिनांक 30/5/19........

JD/MR/C/637 30-05-19

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दिनांक 28/05/2019

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर मध्यप्रदेश,
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश,
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.

विषय : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों की आय सीमा का निर्धारण ।

संदर्भ : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 23.05.2014.

....00.....

प्राप्त दिनांक 28/5/19 5.40 PM

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित इस विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 के नियम-2 में, खण्ड 'घ' में, उपखण्ड (दो) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत: स्थापित किया गया है-

"स्पष्टीकरण :- 'पूर्णत: आश्रित' से अभिप्रेत है शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य जिनकी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय शासन द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों समय-समय पर यथा विनिश्चत आय सीमा के भीतर हो"

JD(MR)

DD(MR)

2/- इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 23.05.2014 द्वारा शासकीय कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों की आय सीमा पेंशन सहित अन्य स्त्रोतों से रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) निर्धारित की गई थी ।

30/05/19

3/- राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा सातवां वेतनमान दिया गया है जिससे आय में वृद्धि हुई है किन्तु साथ ही मंहगाई एवं चिकित्सा दरों में वृद्धि हुई है।

OS(MR)

30/05/19

30/5/19

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियो/कर्मचारियों के लिए लागू (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1958 में परिवार की परिभाषा में शासकीय सेवक के माता-पिता को पूर्णतः आश्रित मान्य किये जाने हेतु उनकी अधिकतम आय (पेंशन एवं अन्य साधनों से) रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) अर्थात् 3.00 लाख (तीन लाख मात्र) वार्षिक निर्धारित की जाती है ।

यह स्वीकृति, वित्त विभाग की टीप जावक क्रमांक 1246/1528/2018/वित्त/नियम/चार दिनांक 21/06/2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/5/2019
(बी.आर.सुनहेरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 9-01/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 28 /05/2019

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल म.प्र. (कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें)।
7. समस्त संचालक, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें ।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11. आर्डर फाईल ।

28/5/2019
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग